

प्रायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु. नं 7/16 तारीख रजु 25.4.16

उत्तराज - जर्वादा बजाप्र अनीता
दावा.

पार्थी की ओर से श्री सुरेशचन्द्र शर्मा नि. ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आर्डर 9 अल 9. व 22 अल 3 सफाई चारा 15 जाफा दीवानी पेश किया। दस्तावेजात का अपलो कर किया। प्रार्थना पत्र बर्ज रजिस्ट्र कर अप्रायोगिक को जोरिस से तलब कर दिनांक 25.4.16 को पेश हो।

962-69
5-4-16

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

25.4.16

पार्थी वकील उप। नोटिस आदत मील प्राप्त नहीं हुए। बरजात तारीख दिनांक 25.4.16 को पेश हो।

25.4.16

पार्थी वकील उप। तारीख अज्ञात। पार्थी वकील ने पुनः अपत्र पेश करने का कथन किया। आर्डर दिनांक 25.4.16 को पेश हो।

जनरल चेरी से पेश हुई। अपार्थी अनीता, मोहनलाल एवं बल्लाल ने नकल साथ नहीं होने का एतराज कोत हुए नोटिस लेने से इन्कार किया। मौलाना खैल, मोहम्मद अहज, मोहम्मद इलियास, सरकार के नोटिस तारीख होमा साथ हो चुके हैं किन्तु ये उपस्थित नहीं थे। इनके विनवस्स पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पार्थी वकील अपार्थी 1, 2, 3 के नोटिस प्रप नवले के साथ पुनः पेश

प्राथमिक अदालत उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

प्राथमिक अदालत उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के लिए एस प्रयंचाए
 दिया गया / घनापली दि 21.3.18 को पेश हो

974
 21.3.18

3-18 प्राथमिक अदालत उप जिला कलेक्टर टोडाभीम द्वारा अर्धी सं. 2 मोहनलाल
 के विफल कार्रवाई न चाहने अथवा अथवा अथवा अथवा अथवा
 हस्ताक्षर किये / तदनुसार इनके विफल कार्रवाई अर्धी की जाती है
 अर्धी दि 16.4.18 को पेश हो

No. 2 मोहनलाल के
 अर्धी अर्धी अर्धी
 अर्धी अर्धी अर्धी
 अर्धी अर्धी अर्धी

6.4.18 प्राथमिक अदालत उप जिला कलेक्टर टोडाभीम मूल अर्धी पत्र पर बहस सुनी गई
 बहस पर मनन किया / पत्रवली का अवलोकन किया
 अर्धी सं. 08 R-3 CPC स्वीकार किये जाने योग्य पाया
 जाता है अतः अर्धी पत्र स्वीकार किया जाता है तथा
 अर्धी पुनः नया पत्र लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं

